

पत्रांक 267 / फसल ऋण मोचन / 2017-18

दिनांक : 20.7.2017


क्षेत्रीय प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक, नवयुग मार्किट

गाजियाबाद।

आप अवगत ही है, कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों के उन्नयन एवं सतत विकास के लिये फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत दिनांक 22.07.2018 तक ऋण प्राप्त कृषकों का डाटा फीडिंग कराया जाना है। परन्तु जिला समन्वयक (डी0सी0) श्री दिनेश सहगल द्वारा राजकीय कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है। आपकी शाखाओं द्वारा दिनांक 18.07.2017 तक 3702 के सापेक्ष 140 कृषकों का डाटा ही फीड किया गया है। जिस पर दिनांक 18.07.2017 की विडियों क्रॉन्फेन्स में डाटा फीडिंग के कार्यों पर शासन स्तर से रोष व्यक्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा एन0आई0सी0 में सर्वर डाऊन की समस्या के निदान हेतु 20 कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं। वहां बैठकर डाटा फीडिंग का कार्य किया जा सकता है।

अतः आप अपने स्तर से संबन्धित बैंक शाखा को निर्देशित करें कि वह समयवद्ध तरीके से डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण करायें। कार्य समय से पूर्ण न होने की दशा में संबन्धित शाखा प्रबन्धक एवं जिला समन्वयक (डी0सी0) के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

  
(मिनिस्ती एस0)  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद

पृष्ठांकन

/ दिनांक उक्तः

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- सचिव वित्त उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2:- प्रमुख सचिव (कृषि) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3:- सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 4:- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 5:- कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
- 6:- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद
- 7:- महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, महात्मागांधी मार्ग हलवासिया कोर्ट, लखनऊ।
- 8:- जिला प्रबन्धक अग्रणी अपनी बैंको को इस निर्देश के साथ कि वह जिला समन्वय (डी0सी0)/क्षेत्रीय प्रबन्धक से अपने स्तर से सामंजस्य स्थापित कर निर्देशित करें, कि डाटा फीडिंग का कार्य समय से पूर्ण किया जायें।
- 9:- जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद।

जिलाधिकारी  
गाजियाबाद